रजिस्टर्ड

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक–एफ.2(1259)सूप्रौ/संस्था/12/7438 जयपुर, दिनांकः 26 दिसम्बर, 2012

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय–समय पर संशोधित) के नियम–28 के अन्तर्गत सूचना सहायक की सीधी भर्ती के लिए जारी विभागीय विज्ञापन समसंख्यक क्रमांक 2087 दिनांक 17.06.2011 के क्रम में विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से "सूचना सहायक" के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थी को अस्थाई आधार पर सूचना सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 7900/–प्रतिमाह (Fixed Remuneration to Probationer Trainees) एवं अधोलिखित शर्तों पर उनके सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

S. No.	Wait List No.	Roll No	Name with Father's Name	Date of Birth	Allotted Category	Allotted Department / Office of Posting	Posting Place
1.	182	144981	NEETU SINGH D/O KESHAR SINGH	02-JUN-88	GEN-F	STATE INSURANCE & PROVIDENT FUND DEPARTMENT (HQ)	JAIPUR
2.	189	170950	PRIYANKA AGRAWAL D/O GOPAL LAL AGRAWAL	18-MAR-89	GEN-F	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT	JAIPUR

नोटः उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को दी गयी नियुक्ति / पदस्थापन, इस विभाग द्वारा वांछित दस्तावेजों के सत्यापन तथा पुलिस द्वारा चरित्र–पूर्व वृत्त के सत्यापन की सही रिर्पोट प्राप्त होने के आधार पर दी गयी है।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 563 दिनांक 31.01.2012 द्वारा 06.11.2012 को आयोजित की गयी गति परीक्षा के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर में दायर रिट पिटीशन संख्या 1860/2012 श्री सुशील कुमार बनाम राज्य सरकार (इसके साथ इस प्रकरण से सम्बन्धित जुड़ी हुई अन्य पिटीशन्स एसबी सिविल रिटपीटीशन्स सं. 1058/2012, 1244/2012, 2382/2012, 2938/2012 एवं 3314/2012 तथा खारिज एस.ए.डब्लू. पीटीशन्स सं. 510/2012 एवं 627/2012) में दिये गये निर्णय दिनांक 20.03.2012 के अनुसार उपरोक्त गति परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों की उत्तर–पुस्तिकओं का पुनर्योग पश्चात सूचना सहायक की सीधी भर्ती का परीक्षा परिणाम समसंख्यक क्रमांक 3585 दिनांक 5 जुलाई, 2012 को घोषित किये जाने परः–

1. उपरोक्त नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 1951/2012 श्री विरेन्द्र सिंह यादव बनाम राजस्थान सरकार के अध्यधीन रहेंगी।
2. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का किराया–भाड़ा या भत्ता आदि देय नहीं होगा।
5. परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी केवल ऊपर अंकित नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे तथा अन्य भत्तें जैसा विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
6. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही "सूचना सहायक" की वेतन श्रृंखला (पी.बी–1) 5200–20200 (ग्रेड पे नं. 9) ग्रेड पे–2400 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावें। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति इस विभाग के विभागध्यक्ष यथा "शासन सचिव एवं आयुक्त, आई.टी. बिल्डिंग, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)–302005" को आवश्यक रूप से भेजें। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई–मेल यथा ia.doitc@gmail.com अथवा oic.estt@rajasthan.gov.in से अथवा फैक्स यथा 0141–2222011/2222007 के माध्यम से भी भेजी जानी अनिवार्य है।

7. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के स्वास्थ्य एवं चाल–चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है इसके लिए इनकों कार्यभार सम्भालने की दिनांक को निम्नलिखित दस्तावेज कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगेः–

क. सक्षम अधिकारी यथा जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य–परीक्षा प्रमाण–पत्र एवं महिला के सम्बंध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र।

ख. दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो कि 6 माह से पूर्व का नहीं हों) प्रस्तुत करने होंगें।

ग. अभ्यर्थी को उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम शिक्षा पाई है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सद्चरित्रता का प्रमाण–पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ (आवश्यक सभी दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित (नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अमान्य) छाया प्रति का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होगा।

घ. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ङ. संलग्न घोषणा–पत्र (प्रारूप) जिसे 10/– रूपये के नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कर पद पर कार्यग्रहण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

च. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)(कार्मिक)क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित हो, प्रस्तुत करें।

8. सेवा के दौरान राजकीय यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण की स्थिति में केवल माईलेज एवं अनुषांगिक प्रभार ही नियत/फिक्स्ड पारिश्रमिक पर ही देय होगा तथा स्थानान्तरण की स्थिति में सिर्फ वास्तविक यात्रा काल ही सेवा अवधि के लिये मान्य है।

9. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिन का अकास्मिक अवकाश देय होगा और कलेण्डर वर्ष से कम अवधि में पूर्ण वर्ष के सेवा माह की अवधि के अनुपात से अकास्मिक अवकाश देय होंगे।

10. यदि सरकार की राय में उपरोक्त सूचना सहायकों का कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि प्रकरण विशेष में सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से तुरन्त विमुक्त कर दिया जायेगा।

11. परिवीक्षा काल में कोई वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी।

12. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 23.04.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, के अधीन सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।

13. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ. 16 (5)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय नही होगा।

14. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 4–10–2001 के अनुसार 1–6–2002 के बाद तीन से अधिक बच्चे होने पर जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

15. दहेज नहीं लेने / देने का परिवचन घोषणा पत्र कार्यग्रण के समय प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(प्रमोद अग्रवाल)
अतिरिक्त निदेशक
एवं पदेन उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सहायक, प्रभारी मंत्री महोदय (माननीय मुख्य मंत्री महोदय), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सचिवालय, जयपुर।

2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।

3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।

4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।

5 वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।

6 संबंधित विभागाध्यक्ष (____) को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी से वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करावें। साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति विभाग को भिजवायें।

7 श्री प्रमोद अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।

8 श्री संजय ज. कर्णिक, ए.सी.पी. (डी.डी.) एवं कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।

9 प्रभारी अधिकारी (वैबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर। यह आदेश इस विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।

10 संबंधित सूचना–सहायक गण (________________________________) को पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ।

11 संबंधित निजी पत्रावली।

12 लेखा शाखा (मय अतिरिक्त प्रति के)।

13 रक्षित पत्रावली।

(प्रमोद अग्रवाल)
अतिरिक्त निदेशक
एवं पदेन उप शासन सचिव